

rules shall continue to apply to such civilian Government servant in the Defence Services and, for the purpose of discipline, he shall be dealt with under these rules unless the appropriate authority, for reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sterner action is called for and directs that he be dealt with under the Act he is subject to."

[No. F. 7/6/72-Ests(A).]

S. KRISHNAN, Dy. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1972

का० प्रा० 990—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और प्रागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बताते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) प्रथम संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और 3 दिसम्बर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान प्रवृत्त रहेंगे।

2. केन्द्रीय सविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में, नियम 3 के उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3क) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भी जहाँ रक्षा सेवाओं के किसी सिविलियन सरकारी सेवक को सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62), या वायु सेना अधिनियम 1950 (1950 का 45) के अधीन अस्थायी रूप से किया गया है, वहाँ ये नियम रक्षा सेवाओं के ऐसे सिविलियन सरकारी सेवक को लागू रहेंगे और अनुशासन के प्रयोजन के लिए जब तक लेखबद्ध कारणों के लिए समुचित प्राधिकारों की यह राय न हो कि कठोरतर कार्रवाई आवश्यक है और यह निर्देश नहीं देता कि जिस अधिनियम के अधीन वह है उसके अधीन उससे बरता जाए, इन नियमों के अधीन सब तक उससे बरता जाएगा।"

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 5th April, 1972

S.O. 990.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President thereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—

1 (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) First Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall remain in force during the period of operation of the Proclamation issued under clause (1) of article 352 of the Constitution on the 3rd day of December, 1971.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, after sub-rule (3) of rule 3, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3A) Notwithstanding anything contained in these rules, where any civil Government servant in the Defence Services is temporarily made subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Navy Act, 1957 (62 of 1957), or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), these

[सं०-7/6/72/स्थापना (क)]

एस० कृष्णन, उप सचिव।